तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक..12.11.125 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
12/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वास्ते साक्ष्य/बहस पत्रावली दिनांक 03/12/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, [illegible] (दौसा)
03/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा. पत्र धारा 136 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी, [illegible] (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बाँदीकुई, जिला दौसा

प्रकरण संख्याः–14/2025
दर्ज दिनांकः–03.03.2025
निर्णय दिनांकः–03.12.2025

उनवान

1. रामस्वरूप प्रजापत पुत्र कजोड मल उम्र 54 साल जाति कुम्हार निवासी धनावड तहसील बॉदीकुई जिला दौसा ।

:प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बॉदीकुई

:अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्थी इन्द्राज उदघोषणा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती इन्द्राज उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 136 रा0का0अधि0 जरिये वकील श्री श्याम सुन्दर शर्मा के पेश किया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः ग्राम धनावड तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 17 पुरानी 13 के खसरा नम्बर 2632 रकबा 0.35 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.35 है०, एवं भूमि खाता संख्या नया 16 पुराना 12 के खसरा नम्बर 2646 रकबा 0.01 है, खसरा नम्बर 2647 रकबा 0.12 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.13 है० एवं भूमि खाता संख्या नया 15 पुराना 11 के खसरा नम्बर 2631 रकया 0.01 है० कुल रकबा 0.01 है०, एवं भूमि खाता सख्या नया 12 पुराना 8 के खसरा नम्बर 2649 रकबा 0.15 है० ,खसरा नम्बर 2660 रकबा 0.31 है०, खसरा नम्बर 3533/2648 रकबा 0.12 है० कुल किता 3 कुल रकबा 0.58 है० एवं भूमि खाता संख्या नया 240 पुराना 234 के खसरा नम्बर 2217 रकबा 0.40 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.40 है० स्थित है। उक्त भूमि हिन्दु मुश्ता खानदान की भूमि रही है जो वादी को विरासत में प्राप्त हुयी है। राजस्व रिकॉर्ड दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम रामरूप पुत्र कजोड दर्ज कर दिया जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम रामस्वरूप प्रजापत पुत्र कजोड मल है जो सही है। प्रार्थी के पिता के रामरूप नाम का कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थी के आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पास बुक. आदि सभी में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप प्रजापत पुत्र कजोड मल दर्ज है जो सही है। तथा प्रार्थी न्यायालय हाजा से इस अमर की दुरूस्थी की उदघोषणा अपने हक में करवाने का अधिकारी है कि वादी का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे गलत नाम रामरूप पुत्र कजोड दर्ज है उसको हजफ किया जाकर प्रार्थी का सही नाम रामस्वरूप प्रजापत पुत्र कजोड मल दर्ज किया जावे इस अमर की दुरुस्थी की उद्घोषणा प्रार्थी न्यायालय हाजा से अपने हक में प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. के द्वारा की गई एवं तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम धनावड की जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 12, 15, 16, 17 एवं 240 में दर्ज रामरुप पुत्र कजोड का नाम राशनकार्ड, जनाधार कार्ड, आधारकार्ड एवं मतदाता वोटरलिस्ट में रामस्वरुप पुत्र कजोड दर्ज है। रामस्वरुप को रामरुप के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उक्त दोनों नाम रामस्वरुप एवं रामरुप एक ही व्यक्ति के है। मौके पर उपस्थित सहखातेदारों एवं अन्य मुतबिरानों ने बताया कि यदि ग्राम धनावड की जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 12, 15, 16, 17 एवं 240 में दर्ज नाम रामरुप पुत्र कजोड के बजाय रामस्वरूप पुत्र कजोड दुरुस्त कर दिया जाता है तो इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः मुताबिक वोटरलिस्ट, आधारकार्ड, जनाधार कार्ड, एवं राशनकार्ड और सहखातेदारों की सहमति के वादी रामस्वरुप का ग्राम धनावड की जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 12, 15, 16, 17 एवं 240 में नाम रामरुप पुत्र कजोड के बजाय रामस्वरुप पुत्र कजोड शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती इन्द्राज उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 136 रा0का0अधि0 पर प्रार्थी वकील को सुना गया एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात व प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी का नाम रामस्वरुप पुत्र कजोड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम धनावड तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 17 पुरानी 13 के खसरा नम्बर 2632 रकबा 0.35 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.35 है०, एवं भूमि खाता संख्या नया 16 पुराना 12 के खसरा नम्बर 2646 रकबा 0.01 है, खसरा नम्बर 2647 रकबा 0.12 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.13 है० एवं भूमि खाता संख्या नया 15 पुराना 11 के खसरा नम्बर 2631 रकया 0.01 है० कुल रकबा 0.01 है०, एवं भूमि खाता सख्या नया 12 पुराना 8 के खसरा नम्बर 2649 रकबा 0.15 है० ,खसरा नम्बर 2660 रकबा 0.31 है०, खसरा नम्बर 3533/2648 रकबा 0.12 है० कुल किता 3 कुल रकबा 0.58 है० एवं भूमि खाता संख्या नया 240 पुराना 234 के खसरा नम्बर 2217 रकबा 0.40 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.40 है० प्रार्थी के नाम रामरुप को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का सही नाम रामस्वरुप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

03/12/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner